राजस्थान सरकार

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 47/2024 अपील

| | | |
|---|---|---|
| 1. गोपाल लाल पिता लादुलाल कुमावत निवासी बीगोद हाल त्रिवेणी चौराहा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा –अपीलार्थी | बनाम | 1. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाडा –रेस्पोडेण्ट |

**अपील विरूद्ध तहसीलदार माण्डलगढ के प्रकरण संख्या 01/2024 में राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 में पारित निर्णय 22.07.2024**

उपस्थित –

1. श्री श्यामलाल गुर्जर, अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री राजकीय अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

## निर्णय

दिनांक 24.12.2025

अपीलार्थी की ओर से यह अपील विरूद्ध विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार माण्डलगढ द्वारा बप्रकरण संख्या 01/2024 अंतर्गत राज० उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 में पारित निर्णय दिनांक 22.07.2024 विधि विरूद्ध होकर निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध ग्राम देवी सिंह जा का खेडा तह–माण्डलगढ में स्थित आराजी खसरा संख्या 203 रकबा 0.0324 है० गै०मु० रास्ते पर अतिक्रमण कर रास्ते को अवरूद्ध करने बाबत् नोटिस जारी किया गया। जिसका जवाब अपीलार्थी द्वारा यह दिया गया कि उसने रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया वरन् उसके आराजी के पास पेट्रोल पम्प बना हुआ है और पेट्रोल पम्प के लोगों ने रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है जिससे स्थिति स्पष्ट कराने के लिए विशेष टीम का गठन कर मुश्तकिल बिन्दु से जरीब चलाई जाकर नपती चलाई जावे जिससे वास्तविक स्थिति सामने आ सके। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विशेष टीम का गठन कर दिनांक 15.07.2024 को मौके पर प्रश्नगत स्थल की नपती कराई गई, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के स्तर से नप्ती हेतु जो टीम गठित की गई वो राजनैतिक प्रेरित होकर एक पक्षीय नपती की कार्यवाही की गई, जो त्रुटिपूर्ण है। और उसी के आधार पर अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखल करते हुए 16/– रू. शास्ती आरोपित की गई है। जो विधि के विपरीत होकर निरस्त योग्य है। क्योंकि अपीलार्थी ने रास्ते के किसी भी भूभाग पर कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है, बल्कि वर्षों पहले अपीलार्थी के खाते की कृषि भूमि का सम्परिवर्तन कराया गया, और तत्समय में सम्परिवर्तन भूभाग पर निर्माण किया गया था,

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

24.12.25
अति. जिला कलक्टर

जो आज भी मौके पर मौजुद है।

अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी। दिनांक 23–09–2024 को हल्का पटवारी ने अपीलार्थी के भूभाग पर किये गये निर्माण को हटाने हेतु कहा तब तहसील कार्यालय में जाकर जानकारी की गई तो विदित हुआ कि हल्का पटवारी ने मुझ अपीलार्थी के विरुद्ध रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करने बाबत् अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और उसी की रिपोर्ट पर मेरे विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही करते हुए शास्ती आरोपित की गई। जानकारी होने के पश्चात प्रतिलिपि हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर प्रतिलिपि उपलब्ध होते ही बिना किसी विलम्ब के यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। विलम्ब को क्षमा कराने के लिए दफा–05 कानून मियाद प्रार्थना पत्र अपील मेमों के साथ प्रस्तुत है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कराई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार माण्डलगढ द्वारा प्रकरण संख्या–01/2024 में पारित किया गया फैसला/आदेश दिनांक 22–07–2024 को निरस्त कराया जावे।

प्रस्तुत अपील न्यायालय में पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकॉर्ड तलब किया गया। अवलोकन कर प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन किया कि उसने उक्त आराजी के संबंध में रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया वरन् उसके आराजी के पास पेट्रोल पम्प बना हुआ है और पेट्रोल पम्प के लोगों ने रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है जिससे स्थिति स्पष्ट कराने के लिए विशेष टीम का गठन कर नवीनतम तकनीक से उभयपक्षों की मौजुदगी में मुश्तकिल बिन्दु से जरीब चलाई जाकर नपती चलाई जावे जिससे वास्तविक स्थिति सामने आ सके।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय दिनांक 22.07.2024 अपास्त किया जाकर प्रकरण रिमाण्ड किये जाने योग्य ठहरता हैं। अतः उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

## आदेश

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलान्ट का आग्रह कि नवीनतम तकनीक से उभयपक्षों की मौजूदगी में पुनः सीमाज्ञान का है, जिसे स्वीकार किया जाता हैं। अतः अपील स्वीकार किया जाकर तहसीलदार माण्डलगढ को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्षों की उपस्थिति में नवीनतम तकनीक से सीमाज्ञान किया जाकर पुनः गुण–अवगुण आधार पर निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

24.12.25

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा